नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2018 अनवान लच्छाराम बनाम खुमाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

09.07.2019

वकुलाय उपस्थित। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 159 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 160 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 128 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा कुल खसरा 04 कुल रकबा 57 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 130 रकबा 34 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 169 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 162 रकबा 86 बीघा 01 बिस्वा, कुल खसरा 03 कुल रकबा 141 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 129 रकबा 33 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि ग्राम जानादेसर वर्तमान राजस्व ग्राम मेहरामनगर में आई हुई है। उपरोक्त खसरान में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सुविधानुसार काश्त करते आ रहे है, प्रार्थी खसरा नम्बर 159 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा पर काश्त करता आ रहा है जो प्रार्थी के बंट व हिस्से में आई हुई है जिसमें चारों तरफ तारबंदी व पानी का टांका व कच्ची झोपड़ियां बनी हुई है। जिसमें प्रार्थी पीढियों से काश्त करता आ रहा है। उक्त भूमि को आगे विवादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बंध में राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 159/1 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा, खेत खसरा नम्बर 129/3 रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 160/3 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 161/1 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 162/1 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा कुल खसरा 05 कुल रकबा 46 बीघा 05 बिस्वा भूमि अलग–अलग खसरों के बटटे करवाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया। जबकि उपरोक्तानुसार कभी भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच बंटवाडा नही हुआ। तथा ना ही उपरोक्तानुसार मौके पर काबिज थे व नही वर्तमान में काबिज है। तथा ना ही नक्शें में तरमीम की हुई है। इस संबंध में वादी द्वारा बंटवाड़े का दावा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत होकर विचाराधीन है। बंटवाडे का दावा विचाराधीन रहते हुए अप्रार्थीगण उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी शुरू कर दी है। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 प्रार्थी कब्जा काश्त शुदा खेत खसरा नम्बर 159 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा भूमि में पक्का निर्माण कार्य करने हेतु आमादा है जबकि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अति–आवश्यक है। उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी

सहायक कलक्टर लूणी

Scanned by CamScanner

की है जिस पर प्रार्थी खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त है अतः प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के हक में बनता है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है और उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ता फैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि ग्राम मेहरामनगर तहसील लूणी खसरा नम्बर 159 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा जो प्रार्थी के खातेदारी की भूमि है, में किसी भी भू–भाग में प्रवेश नही करें, नही किसी विशेष भू–भाग को खुर्द–बुर्द करे न ही निर्माण करे न ही भूमि स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करे ना ही प्रार्थी को बेदखल करें। अप्रार्थी संख्या 02 से 04 की ओर से लिखित जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। इसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 159, 160, 161 व 128 का उल्लेख किया गया है, ये तुलछा वल्द भेरा 1/4 व बागला, पोलीया, छोगला पि. लूणाराम 1/4 की खातेदारी में दर्ज थे तत्पश्चात इन मूल खांतेदारों के मध्य आपसी सहमति से बंटवाडा हो जाने से नामान्तरकरण संख्या 242 के जरिए खाते अलग अलग किए गए एवं आपसी सहमति से बंटवाड़ा के जरिए ही जो खसरा संख्या 159 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा में जवाब दावा अप्रार्थीगण के दादा हजारी वल्द दुर्गा का जो इस खसरे में 1/2 हिस्सा था इसी हिस्से के अनुरूप हजारी वल्द दुर्गा के हिस्से में 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि रखी गई जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 159/2 है एवं तुलछीराम पुत्र भेरा के 1/4 हिस्से अनुसार 4 बीघा भूमि व बाधाराम, छोगाराम एवं प्रार्थी लिच्छाराम के पिता पोलाराम के हिस्से में 1/4 हिस्से अनुसार 4 बीघा भूमि रखी गई। एवं इसी अनुसार सभी खातेदार आज दिन तक काबिज है विवादग्रस्त खसरा नम्बर 159 की भूमियां अलग अलग दर्ज हुई है एवं खाते भी अलग अलग है तथा राजस्व नक्शे में भी मौके पर काबिज अनुसार तरमीम दर्ज है। प्रार्थी के नाम से न तो उक्त खसरा नम्बर 159 की भूमि पूर्व में दर्ज रही है एवं ना ही वर्तमान में उक्त सम्पूर्ण खसरे की भूमि प्रार्थी के नाम से दर्ज है। इस सम्बंध में बंटवाडे का दावा व निषेधाज्ञा का दावा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह केवल इसी आधार पर खारिज योग्य है कि प्रार्थी ने उक्त बंटवाडे को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर मे चैलेन्ज किया है कि जिसका अनवान लिछीराम वगैरा बनाम भंवरलाल वगैरा है जो कि अपील संख्या 45/2018 एवं 46/2018 है। प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार का मामला नही बनता ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त खसरा मौखिक बंटवाडे से प्रार्थी को प्राप्त है तथा जो सहमति बंटवाडज्ञ किया गया प्रार्थी की सहमति के बिना व हस्ताक्षर के बिना प्रार्थी

सहायक कलक्टर ... लूणी

की अनुपस्थिति में बंटवाडा कर दिया गया। उक्त भूमि पर कब्जा प्रार्थी का ही है तथा इस पर निर्माण होने पर प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अप्रार्थी संख्या 02 से 04 की और से लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें पूर्व में जवाब में लिखित तथ्यों को दोहराया गया।

पत्रावली का अवलोकन व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मूल वाद 33/2018 धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत स्थायी निषेधाज्ञा बावत प्रस्तुत किया गया है। सलंग्न जमांवदी से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादग्रस्त सम्पूर्ण खसरे का खातेदार ना होकर विवादग्रस्त खसरे में से खसरा नम्बर 159/1 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा का खातेदार है। जबकि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण विवादग्रस्त खसरे का खातेदार स्वंय को बताते हुए सम्पूर्ण विवादग्रस्त खसरे के सम्बंध में अस्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ की है। अप्रार्थी संख्या 02 से 04 अन्य सहखात्रेदारान के साथ खसरा नम्बर 159/2 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा के खातेदार काश्तकार है। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner